

भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 5111  
जिसका उत्तर 02 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है।  
12 चैत्र, 1947 (शक)

**गांवों में डिजिटल अवसंरचना का उन्नयन**

**5111. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर :**  
**श्री अरविंद गणपत सावंत :**

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का गांवों में डिजिटल अवसंरचना के उन्नयन, अंतिम छोर तक संपर्क प्रदान करने और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए कोई नई योजना बनाने का विचार है अथवा किसी नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है;
- (ख) सरकार द्वारा गांवों में डिजिटल अवसंरचना को उन्नत करने, अंतिम छोर तक संपर्क प्रदान करने तथा डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार का उक्त प्रयोजनार्थ अन्य मंत्रालयों अथवा गैर-सरकारी संगठनों अथवा निजी कंपनियों के साथ कोई भागीदारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने उक्त योजना की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ.) विगत दस वर्षों के दौरान उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं और गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;
- (च) उक्त योजना के कार्यान्वयन और प्रत्येक शीर्ष/लक्ष्य की तुलना में प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (छ) क्या सरकार ने गांवों में डिजिटल अवसंरचना के उन्नयन, अंतिम छोर तक संपर्क प्रदान करने और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के प्रस्तावों की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ज) राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2025 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड की पहुंच को सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)**

**(क) से (छ):** भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि देश भर में मांग के आधार पर ग्राम पंचायतों (जीपी) से परे सभी जीपी और गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके।

उपयोगकर्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वसनीय नेटवर्क प्रदान करने हेतु, 04.08.2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संशोधित भारतनेट कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ रिंग आर्किटेक्चर में मौजूदा भारतनेट नेटवर्क को अपग्रेड करने, भारतनेट उद्यमियों के माध्यम से नेटवर्क के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने, सेवा स्तर समझौते (एसएलए), समर्पित नेटवर्क संचालन केंद्र आदि के आधार पर पूरे नेटवर्क के संचालन और रखरखाव के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के अंतर्गत बीएसएनएल को एकल परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में नियुक्त करने के प्रावधान हैं।

भारतनेट के अंतर्गत प्रदान किए गए एफटीटीएच कनेक्शनों का राज्य-संघ राज्य क्षेत्र/वार ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया गया है।

भारत सरकार ने **17 जनवरी, 2025 को** डिजिटल संचार बुनियादी अवसंरचना के तीव्र विस्तार को तेजी से ट्रैक करने, डिजिटल विभाजन को पाटने और डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशन को बढ़ावा देने, सभी के लिए हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड और सार्थक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दृष्टि से **एनबीएम 2.0** लॉन्च किया।

एमईआईटीवाई ने राष्ट्रीय 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) में डिजिटल साक्षरता तक पहुंचने के लिए प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडिशा) की शुरुआत की। यह योजना सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा देश भर में ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूद सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से लागू की गई थी। 6 करोड़ की तुलना में 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और प्रमाणन आधिकारिक तौर पर 31 मार्च, 2024 को संपन्न हुआ। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्धि **अनुबंध-II** में दी गई है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने अपने 79वें दौर (जुलाई, 2022 से जून, 2023) में 'व्यापक वार्षिक मांड्यूलर सर्वेक्षण' (सीएएमएस) आयोजित किया। सर्वेक्षण के अनुसार, 15-24 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में, लगभग 78.4 प्रतिशत ने संलग्न फाइलों (जैसे, दस्तावेज, चित्र, वीडियो) के साथ संदेश भेजने (जैसे, ई-मेल, संदेश सेवा, एसएमएस) के कौशल के निष्पादन की सूचना दी। इसके अलावा, लगभग 94.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और लगभग 97.1 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास टेलीफोन और/या मोबाइल फोन हैं। उक्त रिपोर्ट से, ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट-फोन के उपयोग, इंटरनेट पैठ और डिजिटल जुड़ाव में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, योजना के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया था।

पीएमजीडिशा योजना का प्रभाव विश्लेषण तीन एजेंसियों आईआईटी दिल्ली, सामाजिक विकास परिषद (सीएसडी) और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट का सार यह है कि पीएमजीडिशा अपने बड़े पैमाने और दूरस्थ रूप से संचालित परीक्षाओं के उपयोग के कारण एक अनूठी योजना है। पीएमजीडिशा के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रशिक्षण का सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और डिजिटल मीडिया के अन्य रूपों को अपनाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसने अपने प्रतिभागियों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए सूचना और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक उनकी पहुंच को सक्षम करके लाभान्वित किया है, जिससे देश में समग्र डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद मिली है।

**(ज):** राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) सरकार द्वारा 17 दिसंबर, 2019 को शुरू किया गया था, जिसे दूरसंचार विभाग द्वारा डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास को सक्षम करने, डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशन के लिए डिजिटल विभाजन को पाटने; और सभी के लिए ब्रॉडबैंड के लिए सस्ती और सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने की दृष्टि से लागू किया गया है। एनबीएम राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) मुद्दों की प्रमुख बाधाओं का समाधान करता है, जिससे देश भर में तेजी से दूरसंचार बुनियादी ढांचे के नियोजन को सक्षम किया जा सकता है। एनबीएम के तहत प्रमुख पहल हैं:

- (i) केन्द्रीकृत राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) पोर्टल गतिशक्ति संचार
- (ii) दूरसंचार राइट ऑफ वे नियमावली, 2024
- (iii) 'कॉल बिफोर यू डिग' (सीबीयूडी) मोबाइल ऐप
- (iv) प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) मंच

### **लॉन्च के बाद से राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) 1.0 के अंतर्गत प्रगति**

- ब्रॉडबैंड ग्राहकों की कुल संख्या 66 करोड़ से बढ़कर 94.49 करोड़ हो गई।
- प्रति व्यक्ति औसत मासिक वायरलेस डेटा की खपत 10 जीबी से बढ़कर 21.10 जीबी हो गई।
- औसत मोबाइल ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 2019 में 10.71 एमबीपीएस से बढ़कर फरवरी 2025 में प्रभावशाली 144.33 एमबीपीएस हो गई। इसी तरह, ऊकला के स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार, मीडियन फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड 2019 में 29.25 एमबीपीएस से बढ़कर फरवरी 2025 में 61.66 एमबीपीएस हो गई।
- ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) की लंबाई 19.35 लाख रूट कि. मी. से बढ़कर 42.13 लाख रूट कि. मी. हो गई।
- मोबाइल टावरों की संख्या 5.37 लाख से बढ़कर 8.23 लाख हो गई।
- बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) 4.69 लाख 5जी बीटीएस सहित 21.80 लाख से बढ़कर 29.97 लाख हो गए।
- 25 मार्च, 2025 तक, मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन और देश भर में ब्रॉडबैंड के प्रसार के लिए 206 राज्य ब्रॉडबैंड समिति (एसबीसी) की बैठकें आयोजित की गईं।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग 4.0 और सार्वजनिक सुरक्षा डोमेन जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5जी उपयोग के मामलों के लिए क्षमता निर्माण सम्मेलन आयोजित किए गए।

\*\*\*\*\*

भारतनेट के अंतर्गत प्रदान किए गए एफटीटीएच कनेक्शनों का राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र वार विवरण

क्र . सं.	राज्य	कुल एफटीटीएच कनेक्शन
1	अंडमान और निकोबार	7741
2	आंध्र प्रदेश	50142
3	अरुणाचल प्रदेश	16
4	असम	5877
5	बिहार	42121
6	चंडीगढ़	300
7	छत्तीसगढ़	12202
8	दादरा नगर हवेली	173
9	दमन और दीव	0
10	गुजरात	125864
11	हरियाणा	150256
12	हिमाचल प्रदेश	3650
13	जम्मू और कश्मीर	9789
14	झारखंड	25899
15	कर्नाटक	53530
16	केरल	199753
17	लक्षद्वीप	0
18	लेह (यूटी)	0
19	मध्य प्रदेश	57914
20	महाराष्ट्र	27328
21	मणिपुर	3957
22	मेघालय	102
23	मिजोरम	48
24	नागालैंड	136
25	ओडिशा	11832
26	पुडुचेरी	4105
27	पंजाब	230243
28	राजस्थान	52041
29	सिक्किम	46
30	तेलंगाना	22409
31	तमिलनाडु	102
32	त्रिपुरा	1408
33	उत्तर प्रदेश-पूर्वी	77698
34	उत्तर प्रदेश-पश्चिम	
35	उत्तराखंड	21481
36	पश्चिम बंगाल	55834
	<b>कुल</b>	<b>12,53,997</b>

स्रोत: दूरसंचार विभाग

पीएमजीडिशा योजना के तहत हासिल की गई राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य का नाम	पंजीकृत अभ्यर्थी	प्रशिक्षित अभ्यर्थी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,564	2,931
2	आंध्र प्रदेश	23,01,731	19,17,452
3	अरुणाचल प्रदेश	14,949	11,615
4	असम	27,21,585	23,60,195
5	बिहार	82,40,606	74,12,740
6	छत्तीसगढ़	24,86,455	21,37,064
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	20,522	18,029
8	गोवा	58,569	53,784
9	गुजरात	30,31,310	26,83,286
10	हरियाणा	18,57,815	15,77,109
11	हिमाचल प्रदेश	6,61,922	5,32,976
12	जम्मू और कश्मीर	8,70,451	7,06,991
13	झारखंड	27,52,731	22,86,356
14	कर्नाटक	29,64,726	24,40,957
15	केरल	1,77,165	1,18,132
16	लद्दाख	24,785	22,122
17	लक्षद्वीप	142	35
18	मध्य प्रदेश	56,92,467	50,69,449
19	महाराष्ट्र	61,23,970	53,23,817
20	मणिपुर	28,397	18,286
21	मेघालय	1,52,783	1,06,063
22	मिजोरम	30,317	23,125
23	नागालैंड	11,990	8,968
24	ओडिशा	36,16,441	30,86,143
25	पुडुचेरी	22,079	15,801
26	पंजाब	17,46,448	15,14,820
27	राजस्थान	45,06,184	39,70,690
28	सिक्किम	27,035	23,122
29	तमिलनाडु	17,04,537	14,07,880
30	तेलंगाना	14,56,226	12,10,448
31	त्रिपुरा	3,25,000	2,64,186
32	उत्तर प्रदेश	1,63,14,369	1,45,48,273
33	उत्तराखंड	7,85,978	6,73,306
34	पश्चिम बंगाल	28,36,714	23,95,565
<b>कुल</b>		<b>7,35,71,963</b>	<b>6,39,41,716</b>